

प्रेस- विज्ञप्तिथाना कंधरापुर29 गोवंशीय पशु के साथ 02 गोतस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 05.03.2023 को उ०नि० अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि कुछ लोग गोवंशीय पशुओ सांड, भैसा को पैदल हांककर के लेकर आ रहे है और पहले से भी घर मे क्रुरता पूर्वक बंद करके रखे हुए है जो इस समय ग्राम मड़या स्थित अंडर पास पुर्वाचल एक्सप्रेसवे के नीचे होते आते जाते है कि कुछ देर बाद गोवंशीय पशुओ को लेकर 03 से 05 लोग तेज कदमो से जानवरो को हांकते हुए भोर्रा मकबूलपुर निषाद बस्ती जा रहे थे कि थाना स्थानीय के पुलिस वालो दो अभियुक्तो एक बारगी घेर कर पकड़ लिया गया तथा अन्य 03 लोग नदी के कछार व झंखाड़, उँच नीच भूमि का फायदा उठाते हुए मौके से भाग गये पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो क्रमशः 1. अहमद उर्फ शेरू पुत्र सोहराब अहमद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. मो० आरिफ पुत्र मो० यूनुस उम्र 34 वर्ष निवासी ग्रा० सरायन थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को 29 अदद गोवंशीय पशु व 03 अदद भैसा के साथ समय करीब 11.10 बजे ग्राम भोर्रा मकबूलपुर (निषाद बस्ती) से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अहमद उर्फ शेरू पुत्र सोहराब अहमद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. मो० आरिफ पुत्र मो० यूनुस उम्र 34 वर्ष निवासी ग्रा० सरायन थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 29 अदद गोवंशीय पशु व 03 अदद भैसा

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 50/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कंधरापुर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अनुज कुमार पाण्डेय उ०नि० जाफर खां हे०का० सुरेश सिंह हे०का० भानू प्रताप यादव का० उपेन्द्र कन्नौजिया का० अनुज चौधरी थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

थाना रानी की सरायदूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.03.2023 को आवेदक विजय बहादुर यादव पुत्र रामराज यादव सा० विशुनपुर कोलापट्टी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ केन्द्र व्यवस्थापक श्री दुर्गा जी चिल्ड्रेन सिटी हायर सेकेण्डरी स्कूल रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर बाबत इण्डरमीडिएट के रासायन विज्ञान परीक्षा में परीक्षार्थी रितेश यादव पुत्र फिरतू यादव अनुक्रमांक नं० 2236686893 सा० ग्राम दमदियावन पोस्ट मोहनाद थाना निजामाबाद के स्थान पर अखिलेश यादव पुत्र बहादुर यादव सा० ग्राम हजारेमलपुर पोस्ट मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा परीक्षा देते समय पकड़े जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किये। जिसके आधार पर मु०अ०सं० 56/2023 धारा 419/420/467/468/471 भा०द०वि० व 3/6/9/10 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधि० बनाम 1.अखिलेश यादव पुत्र बहादुर यादव सा० ग्राम हजारेमलपुर पोस्ट मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. रितेश यादव पुत्र फिरतू यादव सा० ग्राम दमदियावन पोस्ट मोहनाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ बतफतीशी उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह के पंजीकृत किया गया। तथा अभि० अखिलेश यादव पुत्र बहादुर यादव सा० ग्राम हजारेमलपुर पोस्ट मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 04.03.2023 को समय 19.25 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। जिसका चालान आज दिनांक 05.03.2023 को मा० न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान – श्री दुर्गा जी चिल्ड्रेन सिटी हायर सेकेण्डरी स्कूल रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पूछताछ का विवरण- अभि० अखिलेश यादव से पुछने पर अपने जूर्म बार- बार मांफी मागते हुए बताया गया कि वह परीक्षा 2022 मे उत्तीर्ण कर चुका है और B.A. मे इस वर्ष प्रवेश लेने के लिये रितेश से आर्थिक सहयोग के बदले उसके स्थान पर परीक्षा दे रहा था।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 56/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 3/6/9/10 परीक्षा अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

**1. आपराधिक इतिहास- निल
गिरफ्तार अभियुक्त –**

1-अखिलेश यादव पुत्र श्री बहादुर यादव ग्रा0 हजारेमलपुर पो0 मिर्जापुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

**थाना गम्भीरपुर
दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.03.2023 को विज्ञानाम्बुज इंटर कालेज उबारपुर लालगंज आजमगढ़ मे इंटर की परीक्षा मे समाज शास्त्र की द्वितीय पाली मे फैज अहमद पुत्र शमसुद्दीन निवासी व्यवहरा थाना देवगाँव आजमगढ़ के स्थान पर पंकज कुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा कूट रचित आधार कार्ड व प्रवेश पत्र पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया जिसके सम्बन्ध मे श्रीमती शैलन्धा राय पत्नी प्रेमनाथ राय ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हाल पता (केंद्र व्यवस्थापक) विज्ञानाम्बुज इंटर कालेज उबारपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 72/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 3,6,9,10 परीक्षा अधि0 पंजीकृत कराया गया जिसमे अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़ को दिनांक 04.03.2023 को गिरफ्तार किया गया जिसे नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

पंकज कुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

419/420/467/468/471 भादवि व 3,6,9,10 परीक्षा अधि0

गिरफ्तारी करने वाली टीम ::

1. श्रीमती शैलन्धा राय पत्नी प्रेमनाथ राय ग्राम सरायमोहन थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हाल पता (केंद्र व्यवस्थापक) विज्ञानाम्बुज इंटर कालेज उबारपुर आजमगढ़
2. पुलिस टीम थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**थाना गम्भीरपुर
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार**

दिनांक 04.03.2023 को वादिनी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि वादिनी के पति का दोस्त अरूण मौर्य पुत्र मंगला मौर्य अक्सर वादिनी के घर आता था दिनांक 28.01. 2023 की शाम को मेरे घर आकर चाय में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया जब वादिनी चाय पीने लगी तो उसे परेशानी होने लगी इतने अरूण हमारे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया वही वीडियो दिखाकर वादिनी ब्लैक मेलिंग कर लगातार सम्बन्ध बनाता रहा, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 70/23 धारा 328/376/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही थी

आज दिनांक 05.03.2023 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरूण मौर्य पुत्र मंगला मौर्य निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को कस्बा गम्भीरपुर से समय करीब 11.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

अरूण मौर्य पुत्र मंगला मौर्य निवासी ईश्वरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स. 70/2023 धारा 328/376/506 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम ::

1. विजय प्रकाश मौर्य थानाध्यक्ष थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. का. रमेश यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. म.का. कृषिका श्रीवास्तव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**थाना कोतवाली नगर
गम्भीर रूप से मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना – श्री महेश सोनकर पुत्र स्व० बाबूलाल सोनकर सा० ग्राम मधुबन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी 1.रविन्द्र 2.सुरेन्द्र 3.विरेन्द्र पुत्रगण विक्रम निवासीगण करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा वादी के लड़के अजय सोनकर को गाली गुप्ता देना, लाठी डंडा से मारना पीटना जिससे अजय सोनकर के सिर पर गम्भीर चोट आ जाना तथा बेहाश हो जाना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दाखिल किये कि दाखिला प्रार्थनापत्र के आधार पर मु०अ०सं० 110/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि बनाम 1.रविन्द्र 2.सुरेन्द्र 3.विरेन्द्र पुत्रगण विक्रम निवासीगण करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ०नि० धर्मराज यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 05.03.2023 को उ०नि० धर्मराज यादव मय हमराहियान के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र विक्रम राम निवासी ग्राम करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को स्थान भवरनाथ के पास से समय 11.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1-मु०अ०सं० 110/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

01. रविन्द्र कुमार पुत्र विक्रम राम निवासी ग्राम करतालपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामद माल- आला अपराध एक अदद लकड़ी की पटिया

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी

2. उ०नि० धर्मराज यादव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना-बरदह

मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दि० -05.03.23 को वादी श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी सूबेदार यादव साकिन बौवापार थाना बरदह आजमगढ़ कि तहरीरी सूचना बावत बावत अभियुक्तगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 04.03.23 को सुबह 10.00 बजे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने व विरोध करने पर मारने पीटने व बीच बचाव में आने पर प्रार्थनी की पुत्री शालिनी व सारिका को भी मारना पीटना व प्रार्थनी को लोहे की भारी रेती से सिर में मारना जिससे प्रार्थनी का सिर फट जाने व बेहोश होकर गिर जाने के संबंध में थानास्थानीय पर मु०अ०सं० 92/23 धारा 323/504/506 /308 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ०नि० श्री भगत सिंह यादव द्वारा सम्पादित की गई तथा विवेचना के क्रम में दि० 05.03.23 को अभि० 1. जैत्रसेन यादव पुत्र बद्रीनाथ निवासी ग्राम बउवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2..चित्रसेन यादव पुत्र बद्रीनाथ निवासी ग्रामबउवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

2.गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 05.03.23 को उ०नि० भगत सिंह मय हमराह उ०नि० सीताराम यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्त 1. जैत्रसेन यादव पुत्र बद्रीनाथ 2.चित्रसेन यादव पुत्र बद्रीनाथ निवासीगण बउवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.30 बजे हाइवे से बउवापार जाने वाले मार्ग पर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 92/23 धारा 323/504/506 /308 भादवि

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जैत्रसेन यादव पुत्र बद्रीनाथ

2.चित्रसेन यादव पुत्र बद्रीनाथ निवासीगण बउवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी- रेती लोहे की लम्बाई करीब 10 इंच जिस पर खून के धब्बे लगे हुए तथा लकड़ी की मुठिया जिसकी लम्बाई करीब 4.5 इंच है बरामदशुदा खूनालूद रेती को मौके पर एक सफेद कपड़े में रखकर सीलसर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया।

पुलिस टीम-

भगत सिंह (उ०नि०) चौकी प्रभारी ठेकमा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

सीताराम यादव (उ०नि०) थाना बरदह जनपद आजमगढ़